मानना तिरंगे का अपमान नहीं है। तिरंगा देश के गौरव की प्रतीक है उसका सम्मान भी निश्चित रूप से करना चाहिए।

दूसरी तरफ, राज्य समाज के द्वारा विकसित हुई संकल्पना है। राज्य का निर्माण हुआ है। रचनाएं बनीं हैं। जबकि राष्ट्र किसी के द्वारा नहीं बना। यहां की जीवनशैली, परम्पराएं, मान्यताएं, चिरंतन काल से रही हैं। राज्य की व्यवस्था समय सुसंगत होती हैं, जबकि राष्ट्र की चिरंतन स्थायी। भौगोलिक सीमाएं भी राज्य की व्यवस्थाएं हैं। जब कोई समूह विकसित होता है तो जहां पर रहता है, उस भूमि के प्रति उसके अंत:करण में एक आत्मीयता व श्रद्धा उपजना स्वाभाविक है।

अथर्ववेद में कहा गया - माता भूमि है, मैं इसका पुत्र हूँ। इसके द्वारा हमें सब सुख-सुविधा प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि भूमि, माँ है। कहा जाता है कि मातृभूमि शब्द की कल्पना धर्म से आयी। धर्म यदि हमारे जीवन मूल्यों और कर्त्तव्यों का अधिष्ठान है तो वहीं से हमारी भूमि के प्रति कर्त्तव्यों की बात आती है। यह मातृभूमि पुरखों की भूमि है। कश्मीर से कन्याकुमारी, राजस्थान से मणिपुर का रहने वाला जब इस भूमि को माँ कहता है, तो एकात्मता का अनुभव करता है। इसलिए जब कोई 'भारत माता की जय' कहता है तो उसे सांप्रदायिक कैसे कहा जा सकता है? इस भूमि के प्रति उसका भाव इस जयकारे से प्रकट होता है। इससे सिर्फ वे लोग इंकार कर सकते हैं जो भारत को मात्र उपभोग-भूमि मानते हैं। कहा गया, 'हम बुलबुले हैं इसकी, यह गुलिस्तां हमारा।' अगर गुलिस्तां में बहार नहीं रही तो क्या कोई इसे छोड़ देगा? नहीं। संकल्प लेगा इसे सुजलाम-सुफलाम बनाने का। संपूर्ण राष्ट्र को अकाल से बचाने को भगीरथ ने कठोर तपस्या की। अपनी भारत माँ को सुजलाम-सुफलाम बनाने के भाव में कितनी ही पीढ़ियों ने अपनी आहुति दे दी।

हम इस राष्ट्र के घटक हैं, सदस्य नहीं। नागरिक बनना अलग है, इस देश का राष्ट्रीय (घटक) बनना अलग है। अमरीका का ग्रीन कार्ड मिलने से आप वहां के नागरिक बन जाएंगे, लेकिन क्या भारत को भूल जाएंगे? राष्ट्र के रूप में आप भारत के रहेंगे, नागरिक के रूप में अमरीका के। वहां के सब कानूनों का पालन करेंगे। किसी अन्य देश का नागरिक, भारत का नागरिक बन सकता है। परन्तु जिसे इस देश का राष्ट्रीय (घटक) बनना है